

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 17 एफ 1-16-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् बकहो का गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	शहडोल	बुढ़ार	बकहो	1 बकहो 2 झगरहा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 26th September 2016

Not. No. 17-F-1-16-2016-XVIII.-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, constitutes the Municipal Council Bakaho comprising the villages of village panchayat mentioned in the Table given below, namely:—

TABLE

S. No.	District	Tehsil	Name of the village Panchayat	Areas included/detail of villages
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Shahdol	Budhar	Bakaho	1 Bakaho 2 Jhagarha

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 18 एफ 1-16-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् डोला का गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	अनूपपुर	कोतमा	डोला	1 डोला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.